–जरिये ई–मेल–

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था./2025/65 दिनांक :30/10/25

:: कार्यालय आदेश ::

वर्ष, 2025 के माह **नवम्बर** में दिनांक 30.11.2025 तक आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये आवश्यक फौजदारी कार्य, रिमाण्ड, जमानत एवं अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन, धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन/धारा 176 दं.प्र.सं. की कार्यवाही तथा प्रोटोकॉल कार्य हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिये निम्नलिखित तारीखों में उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट्स को न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए.एम. से दोपहर 02.00 पी.एम. तक करने के लिये अधिकृत किया जाता है–

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	ड्यूटी की दिनांक	मोबाईल नम्बर
1	श्री सिद्धान्त सक्सेना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, बून्दी	02.11.2025	8387988469
2	डॉ. ऋचा चायल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी	05.11.2025	9414714382
3	श्रीमती साक्षी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी(राज.)	08.11.2025	8280130020
4	श्री हनुमान सहाय मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ, जिला बून्दी(राज.)	09.11.2025	9509517697
5	सुश्री अल्का मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां, जिला बून्दी	16.11.2025	7414018889
6	श्री आदित्य वशिष्ठ, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	22.11.2025	9414034555
7	श्रीमती यशस्वी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–2, बून्दी (राज.)	23.11.2025	9351959024
8	श्रीमति वृष्टि विज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–3, बून्दी	30.11.2025	8800441494

नोट :–1– उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी। उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश/स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को जमानत, रिमाण्ड व आवश्यक उक्त कार्यों के लिये समस्त बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये श्री करन सिंह, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा, जिला बून्दी(राज.) की ड्यूटी लगाई जाती है।

2– अभियुक्तगण को निर्धारित समय ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे।

3– उक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियां होने के पश्चात ही ड्यूटी परिवर्तन हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षकर्ता को पांच दिवस पूर्व सूचित किये जाने पर प्रार्थना पत्र पर विचार किया

30-10-2025

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राज.)

जायेगा। इस संबंध में अनावश्यक मौखिक वार्ता नहीं की जावे।

4– अवकाश के दिन यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो उनसे भी जमानत, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिये आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

5– अवकाश के दौरान प्रस्तुत एफ.आई.आर., रिमाण्ड कागजात एवं अन्य दस्तावेजात् आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

6– उक्त किसी भी अधिकारीगण का स्थानान्तरण होने पर उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा ही नियत अवधि में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी तथा सभी अधिकारीगण, जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगायी गयी है, वे आवश्कता होने पर प्रोटोकॉल कार्य भी सम्पादित करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2025/ 2708-2723 दिनांक : 30-10-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.

(2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।

(3) संबंधित पीठासीन अधिकारी

(4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।

(5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी

(6) उपाधीक्षक जिला कारागृह, बून्दी

(7) अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बून्दी.

(8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)
30-10-25